

[Dr B. Gopala Reddi]

crores as grants, making a total of Rs. 19.21 crores. If you take per capita, I am sure, the Punjab assistance is more than the UP assistance. There are other States also: the southern States and Eastern States. Perhaps every State Government must be feeling in the same way that they are not getting enough assistance from the Central Government. The difficulties of the Centre are there. In spite of our best efforts, we have to resort to deficit financing. Last year, we had to go in for Rs. 459 crores as deficit financing and this year, it may also be anything between Rs. 250 and 300 crores. It is not right that we go on incurring deficit financing and giving assistance to the State Governments. The Planning Commission always insists that the State Governments should raise their own resources by additional taxation, by retrenchment, etc. I am sorry to say, while certain States have fulfilled their promise to the Planning Commission, some other States have not fulfilled their promise. It is not a matter that we should go into at great length at this stage. But, it is not a fact that either UP or Punjab is being discriminated against by the Centre with regard to loan assistance or grants. If Bhakra-Nangal is an All-India project, every other project is an All-India project. It is not as if Bhakra-Nangal alone belongs to All-India. Every project, it may be Neyveli, it may be an industrial project, it may be a hydro-electric project, these do not belong to any particular State. They belong to the entire country. They are all assets which our country can be proud of. Therefore, we cannot look at them from that point of view. Certainly we are not discriminating against Punjab or UP, the southern States or the Eastern States. As far as possible, we are trying to assist them.

श्री जगत रॉय १७ करोड़ ५० लाख रुपये की श्रीमान् क्या ब्रेक ग्रप बता सकते हैं ?

Dr. B. Gopala Reddi: This sum of Rs. 17 crores, the State Governments have incurred the expenditure. It is being made good in the present year. It was done after the Budget was framed. They could not take a decision earlier. This amount of Rs. 17 crores was spent by the State Governments previously and it is being reimbursed according to old promises. So, it is not pertaining to this year.

So, I beg the hon. Members not to go with the impression that the Centre is against Punjab or UP. On the other hand, there is a feeling in the southern States that the northern States are getting more. It is not also a fact.

Shri V. P. Nayar: Fact is a fact.

Mr. Chairman: The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1959, in respect of the following demands entered in the second column thereof

Demands Nos. 31, 59 and 72"

The motion was adopted.

16.41 hrs.

DELHI RENT CONTROL BILL

Mr. Chairman: We now take up further discussion on the Delhi Rent Control Bill. Shri Vajpayee was on his legs. He may continue his speech.

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): सभापति महोदय, मकान किराये पर नियंत्रण करने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, मुख्यतः उसके दो उद्देश्य हैं। एक ती

स्टैंडर्ड रेंट तय करना और दूसरे किराये-धारों की बेदखली रोकना। मुझे यह बेदखल रोक हुआ है कि इस विधेयक के अन्तर्गत किरायेदारों की बेदखली के सम्बन्ध में जो नयी धाराएं रचनी गई हैं, वे पुराने कानूनों से कुछ अधिक हैं और व्यापक हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी कि और मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि इस विधेयक की ५५वीं धारा अर्थात् क्लॉज ५५ में, ऐसे किरायेदारों को जो कि दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १९५६ के अन्तर्गत आते हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि अगर वे पहले बेदखल कर दिव्य करें हों और उनके खिलाफ डिमि हो गई हो तो उनकी डिमि के मामले को दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १९५६ के अन्तर्गत फिर से रिप्रोवेन किया जा सकेगा। अब ऐसे हजारों किरायेदार हैं जिन्हें किराया न देने के अपराध में भवना कुछ थोड़े-मोटे अन्य कारणों में जिनके खिलाफ डिमि हो गई थी, लेकिन बाद में कुछ आपस में कम्प्रो-माइज हो गई और वह नियमित रूप से किराया देने लगे, वे उन्हीं मकानों में अभी तक बसे हैं, लेकिन अगर यह कानून पास हो गया और उसमें इस तरीके का संशोधन नहीं किया गया कि दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५२ के अन्तर्गत जिन किरायेदारों के खिलाफ डिमि हुई हो, उन्हें बेदखल न किया जाय, तो मैं समझता हूँ कि यह उन किरायेदारों के साथ बड़ा अन्याय होगा। ५५ वीं धारा में इस तरह की छूट दी गई है अगर वह छूट केवल दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १९५६ के अर्धन जो बेदखल किये गये हैं, उन्हीं की ही गई है। मेरा निवेदन यह है कि इस छूट को बढ़ाना चाहिए और दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५२ के अन्तर्गत जिन किरायेदारों के खिलाफ बेदखली की डिमियां हुई हैं अगर जो किरायेदार अभी तक बेदखल नहीं किये गये, ऐक्ट नहीं

किये गये और जो नियमित रूप से किराया दे रहे हैं, उनको बेदखल नहीं करना चाहिये, इस सम्बन्ध में सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने एक संतोषन उपस्थित किया है और मैं समझता हूँ कि सरकार उस संतोषन को स्वीकार कर लेगी।

यदि यह सम्भव न हो कि उनकी बेदखली या उनकी जो डिमि हुई है, उसको रोक दिया जाय, उनकी बेदखली काम कर दी जाय तो मेरा निवेदन है कि ५५वीं धारा के अन्तर्गत जो उस डिमि को रिप्रोवेन करने की सुविधा दी गई है, वही सुविधा दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५२ के अन्तर्गत पड़ने वाले मामलों पर भी लागू होनी चाहिए।

बेदखली के सम्बन्ध में और भी धाराएं हैं। जैसे यदि कोई किरायेदार ६ महीने तक अपना मकान खाली रखे तो उसको बेदखल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि किसी किरायेदार को बेदखल करने की सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिये कि वह समय पर किराया देता है या नहीं। अगर कोई किरायेदार किसी विशेष कारण से, उदाहरण के लिए वह जेल में हो, या अस्पताल में हो, ६ महीने तक मकान उसको खाली रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है किन्तु वह किराया नियमित रूप से देता जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसको मकान से निकालना नहीं जाना चाहिए। ६ महीने की यह अवधि मेरी समझ में कम है और उसको बढ़ाने पर विचार किया जाय।

१४वीं धारा के सब-सेक्शन (ई) में जिसके कि सम्बन्ध में पहले भी काफी विवाद होता रहा है, उसमें वह व्यवस्था की गई है कि अगर मकान मालिक अपने रहने के लिए या अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के रहने के लिए जो उस पर निर्भर करता है, अगर उसे अधिक मकान की जरूरत हो, तो वह मकान को खाली

[श्री बाजपेयी]

करा सकता है यदि उसे और कोई स्थान रहने के लिए नहीं मिलता । मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो शब्दावली रखी गयी है उसमें पुराने कानूनों के अन्तर्गत भी बहुत विवाद हुआ करता था, और जो अर्कड़े मकान मालिकों और किरायेदारों ने प्रवर समिति के सामने रखे हैं उनसे भी यह प्रकट होता है कि मकान मालिक और किरायेदार में अगर किसी बात पर सबसे अधिक झगड़ा होता है जो कि अवालत तक जाता है तो वह यही है कि मकान मालिक को बोनाफाइडी परपज के लिए अपने मकान की आवश्यकता है । अब इस विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि मकान मालिक अपने लिए या अपने परिवार के लिए मकान खाली करा सकता है अगर खुद उसको रहने की जरूरत है । अब सवाल यह होता है कि किरायेदार जो मकान मालिक को जानता नहीं, जो उसके परिवार के सदस्यों से परिचित नहीं, उसके ऊपर यह भार डाला जाता है कि वह इस सम्बन्ध में आपत्ति खड़ी करे । मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं है । १९४७ के कानून के अन्तर्गत मकान मालिक से यह पूछा जाता था कि उसको अधिक जगह क्यों चाहिए या जब उसको अधिक जगह की जरूरत थी तो उसने मकान किराये पर क्यों दिया । अब अगर किसी के परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, मकान मालिक के परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, तो यह मकान मालिक के लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात हो सकती है, मगर किरायेदार के लिए दुःख की, कष्ट की बात नहीं होनी चाहिए । और यदि परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो उनके लिए वह मकान मालिक अलग स्थान प्राप्त करे जैसे कि किरायेदार को करना पड़ेगा । उदाहरण के लिए यदि किरायेदार के परिवार के सदस्य बढ़ जायें तो क्या मकान मालिक उसको और कम देगा । यह जगह नहीं देगा । लेकिन

क्योंकि उसका मकान है और वह अपने परिवार के सदस्यों की संख्या घनाप घनाप बढ़ता जा रहा है, सरकार के इस प्रचार के बावजूद कि परिवार नियोजन होना चाहिए, तो उसकी भुसीबत किरायेदार को क्यों खोसनी पड़े । मेरा निवेदन यह है कि इसमें सारा बोझ किरायेदार के ऊपर डाला गया है । अब इसमें जो शब्दावली रखी गयी है उसे आप देखें । इसमें यह कहा गया है :

“(e) that the premises let for residential purposes are required *bona fide* by the landlord for occupation as a residence for himself or for any member of his family dependent on him, if he is the owner thereof, or for any person for whose benefit the premises are held and that the landlord or such person has no other *reasonably* suitable residential accommodation.”

“रीजनेबली सूटेबिल एकोमोडेशन” इसकी व्याख्या अनेक झगड़ों को जन्म देगी । सवाल यह है कि मकानों की कमी है । तो तंगी में रहने के लिए मकान मालिक के जो परिवार के अधिक सदस्य हैं उनको भी तैयार रहना चाहिए । मगर दिखायी ऐसा देता है कि परिवार के सदस्य मकान मालिक के बढ़ेंगे और उनकी उनकी इच्छा के अनुसार “रीजनेबली सूटेबिल एकोमोडेशन” उपलब्ध नहीं होगी, और उसका परिणाम किरायेदार को भ्रुगतता पड़ेगा । मेरा निवेदन है कि इस धारा के इस उपबन्ध के सम्बन्ध में भी सरकार को फिर से विचार करना चाहिए ।

इस बारे में जिस बात की और सरकार का ध्यान मकान मालिकों और किरायेदारों ने भी आकृष्ट किया और जिसके सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई पक्की व्यवस्था नहीं की गयी है, वह यह है कि मकान मालिक किरायेदार

सं भ्रमना मकान खाली कराने के लिए झूठ-
बठ भ्रमना मकान बेच बेते हैं। बेचते नहीं
हैं मगर कानूनी तौर पर ऐसा दिखायी देता
है कि उन्होंने मकान बेच दिया और
जिसको मकान बेचा जाता है वह उस मकान
को खाली कर ता है, और फिर वह उस मकान
को दूसरे किरायेदार को देता है। जो
एबीडेंस सिलेक्ट कमेटी के सामने रखी गयी
उसमें एक ऐसा भी उदाहरण था कि एक
मकान मालिक ने एक ही दिन भ्रमना मकान,
जिसका किराया पहले ४५ रुपया था उसको
बेच दिया और बाद में जिसको बेचा उसने
मकान मालिक के यहाँ उसको मारगोज कर
दिया और किराया ५५ रुपया हो गया।
ऐसा उदाहरण एबीडेंस के दूसरे पेज पर
दिलखी देता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि
इस प्रकार की फिक्टीसस सेल्स को रोकने
के लिए इस विधेयक में क्या व्यवस्था की
गयी है। किरायेदारों को उजाड़ने के लिए,
जिन किरायेदारों को मकान मालिक नहीं
चाहता उन्हें बेघरबार करने के लिए इस
तरह झूठमूठ मकान बेचे जायेंगे और
इसका दुष्परिणाम किरायेदार को भुगतना
पड़ेगा। इस बारे से इस विधेयक में उपयुक्त
संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इस विधेयक के अन्तर्गत अगर कोई
मकानमालिक किरायेदार की बिजली
या पानी या जीवन की जो अन्य आवश्यकतायें
हैं उनको बन्द कर दे या काट दे
तो उसको दंड का भागी बनाया गया है,
मगर वह दंड इतना नाम का है कि उससे
किरायेदार की रक्षा हो सकेगी इसके सम्बन्ध
में मुझे आशंका है। और जो किरायेदार
हकफंडे अपनाते हैं उनका इसमें विचार नहीं
किया गया है। उस सम्बन्ध में जो धारा में
भाषा है उसके मृताधिक किरायेदार स्वयं
या किसी के द्वारा अगर बिजली कटावे या
नल का पानी बन्द करावे, तो वह दंड का
अर्हक होता है लेकिन अगर वह समय पर
किराया जमा न करे बिजली का या पानी का

और किरायेदार का पानी बन्द हो जावे या
बिजली कट जावे तो वह तो इस धारा की
जो भाषा है उसके अन्तर्गत नहीं आता।
अगर धार पांच किरायेदार हैं और उन्हें
एक किरायेदार बिजली का बिल नहीं
बुकाता तो उसके कारण बाकी के धार
किरायेदारों की बिजली भी कट सकती है।
यद्यपि इस सम्बन्ध में भी कुछ सुधार
किया गया है मगर मैं समझता हूँ यह
पर्याप्त नहीं है। अगर यदि पानी और बिजली
बन्द कर दिये जायें तो ज्यादा से ज्यादा
५० रुपया जुरमाना रखा गया है जो कि
बहुत थोड़ा है। प्रवर समिति के सामने यह
कहा गया था और मैं इसको दुहराना चाहता
हूँ कि अगर मकान मालिक अकारण
किरायेदार की बिजली या पानी बन्द करे
तो यह कागनिजेबिल आफेंस होना चाहिए।
पानी बन्द करना यह तो बड़ा अपराध है।
जल तो जीवन है और अगर जीवन को कोई
बन्द करना चाहता है तो वह कठोर दंड का
भागी होना चाहिए, और वह दंड ५०
रुपया जुरमाना इस विधेयक में रखा गया है।
इस अपराध को पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य
बनाना चाहिए, और इस सम्बन्ध में प्रवर
समिति के सामने कहा भी गया था लेकिन
दुर्भाग्य से उसने इसे स्वीकार नहीं
किया और मुझे लगता है कि हमारी सारी
सद्विच्छाओं के बावजूद कि किरायेदारों
का बिजली बन्द न कर दो जाये और वे
अधरे में न रहे, उनका पानी बन्द न हो,
उनका नासका बन्द न हो, मकान मालिक
जब चाहें उनको परेशान न कर सकें, यह
विधेयक किरायेदारों के अधिकारों को जो
संरक्षण देने के लिए लाया गया है वह संरक्षण
यह नहीं दे सकेगा, और इसमें यह सफल
नहीं होगा।

एक बात में अकारण मालिक की तरफ से
भी कहना चाहता हूँ।

श्री नरेश ब्रजलाल (बाएँ बिल्डी—
उजित—मनुसूचित जातियाँ) : क्या मैं माननीय
 सचिव से एक सवाल पूछ सकता हूँ। उन्होंने
 अभी कहा कि एक मकान में पाँच किरायेदार
 रहते हैं और उनमें से दो अगर विजल का किल
 पे करने को तैयार नहीं है और तीन रुपया देने
 को तैयार है तो उस दशा में तो म्यूसिसपस
 प्राक्कोरेसन कनेक्शन को कटेगा। मकान
 मालिक इसमें कहीं आता है। इसके लिए
 क्या किन्त व्यवस्था का सुझाव देते हैं?

श्री बाबूदेवी : मेरा निवेदन है कि
 व्यवस्था यह होनी चाहिए कि अगर एक
 किरायेदार नहीं देता तो दूसरे को उसकी
 सजा न मिले। इसकी कोई व्यवस्था इसमें
 नहीं की गयी है। इस बारे में मैंने संशोधन
 दिया है। माननीय सचिव संशोधनों की
 सूची पढ़ कर देख सकते हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुराने
 कानून में न्यूसेंस के लिए एक धारा थी।
 अगर कोई किरायेदार न्यूसेंस पैदा करे,
 केवल मकान मालिक ही नहीं तो उसके
 लिए प्रावीजन था। बहुत से किरायेदार
 किसी मकान में रहते हों, तो हो सकता है
 कि एक किरायेदार धीरे-धीरे के लिए न्यूसेंस
 हो जाये, वह ठेरुल करे, या ऐसी
 हकतें करे जो धीरे-धीरे के लिए आपत्तिजनक
 हों तो उसको बेदखल किया जा सकता
 था।

एक माननीय सचिव : श्री अगर मकान
 मालिक करे ?

श्री बाबूदेवी : मकान मालिक करे तो
 उसके लिए भी कानून है।

यह जो न्यूसेंस की बात है यह केवल
 मकान मालिक और किरायेदार इन दोनों के
 बीच की बात नहीं है। अगर कोई किरायेदार

न्यूसेंस पैदा करता है तो वह और
 किरायेदारों के लिए भी संकट का कारण
 हो सकता है। इसलिए किरायेदारों के
 अधिकारों पर कोई छापा मारा जायेगा इस
 दृष्टि से इस सवाल भी धोर नहीं देना
 चाहिए। लेकिन इस विधेयक में यह
 न्यूसेंस वाली धारा निकाल दी गयी
 है।

अब हम दिल्ली में धीरे-धीरे
 ग्राहविज्ञान करने जा रहे हैं। यह
 कितना सफल होता है यह सवाल प्रलय है,
 धीरे में उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।
 हमारी सरकार धीरे-धीरे नशाबन्दी की
 तरफ कदम बढ़ा रही है।
 धीरे हमने तो प्रोबेशन आफ इम्पारल
 ट्रेफिक इन विमन भी यहां पर लागू किया
 है। अब इस कारण से यह आवश्यकता
 होनी है कि इससे सम्बन्धित धारा का
 विधेयक में समावेश किया जाए। यदि
 यह कहा जाए कि अगर न्यूसेंस की धारा
 लाई गई तो यह किरायेदारों के खिलाफ
 होगा क्योंकि मालिक मकान न्यूसेंस की
 बिना पर किरायेदारों को निकाल देंगे तो
 मेरा निवेदन है कि १९५२ से लेकर १९५७
 तक जितनी बेदखलियों के केस हुए हैं
 अगर आप उनके आंकड़ों पर गौर करें
 तो आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर
 १९,७१४ केस दायर किये गये बेदखलियों
 के लिए और उनमें से किराया भ्रष्ट न करने
 के ७,८११ मामले थे, सब-बीटिंग के
 ४,२३३, बीनाफाइड परसनल रिक्वाय.मेंट
 के लिए, जो मालिक मकान अपने काम के
 लिए मकान खाली कराना चाहते थे, उनकी
 संख्या ४,२७८ थी और दूसरे धाराओं पर
 जो दावे दायर किये गये थे सिर्फ ३,३९२
 थे और उनमें जो न्यूसेंस के लिए मकान
 मालिकों ने किरायेदारों के खिलाफ दावे
 दायर किये उनकी संख्या केवल २०० थी,

दी थी। यह १९५२ से लेकर १९३७ तक के प्रांकड़ों का हिसाब है। यह कहना कि अगर नुएसेंस की चारा....

Mr. Chairman: The hon. Member should try to conclude now.

श्री बाजपेयी : मैं अभी समाप्त नहीं कर सका हूँ। यह दिल्ली का मसला है और बड़ा महत्व मसला है।

Mr. Chairman: He can go on for two minutes more. He has already taken about twenty-five minutes.

Shri Vajpayee: I may be allowed to continue.

Mr. Chairman: Let him continue for two minutes more.

श्री बाजपेयी : मेरा निवेदन यह है कि इस नुएसेंस की चारा का इसमें समावेश किया जाना चाहिये। यह प्राशंका ठीक नहीं है कि अगर इसका समावेश किया गया...

श्री ज० क० नाथर (बाह्य दिल्ली) : ये जो प्रांकड़े आपने पेश किये हैं, ये कहाँ से लिये गये हैं ?

श्री बाजपेयी : यह नम्बर वही है जो कि प्रवर समिति के सामने प्राया था और जिसको टेनेंट्स एसोसिएशन ने चैलेंज नहीं किया। इसलिए मेरे सामने वही प्रांकड़ा है और वही मैंने सदन के सामने रख दिया है।

अब एक बात जो कि डब्ल्यू प्रार्प्टी से ताल्लुक रखती है, मैं कहना चाहता हूँ। बहुत से मकान जो रिहबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने सी० पी० डब्ल्यू० डी० से बनवाये और बाद में जिन्हें किराये पर दिया और फिर बेच दिया गया क्लेम्स के प्रोग्रेस और वे आर्थिक मकानों को गिना गये उनमें भी बहुत से किरायेदार रहते हैं। किन्तु इस

विधेयक के अन्तर्गत उन सारे मकानों को जो कि एक विशेष समय की सीमा के अन्तर्गत बने थे, स्टैंडर्ड रेंट लागू करने के नियम से मुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वह जो उन मकानों में रहने वाले किरायेदार हैं उनके प्रति ठीक व्यवहार नहीं होगा। मकान किसी ने बनाये हों, भले ही उनका निर्माण करने वाली रिहबिलिटेशन मिनिस्ट्री हो लेकिन प्राथमिक व्यक्तित्व मालिकों के कब्जे में हैं, उनमें किरायेदार रहते हैं और कोई कारण नहीं है कि उन मकानों पर स्टैंडर्ड रेंट लागू किया जाए और किरायेदारों को मकान मालिकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाए।

प्राथमिकी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो कंट्रोलर्स नियुक्त किये जा रहे हैं वे एग्जिकटिव के द्वारा किये जायेंगे। पुराने विधेयक में यह व्यवस्था थी कि रेंट कंट्रोलर्स ज्यूडिशरी के प्राधीन थे और उसी में से उनको लिया जाता था। इस विधेयक में उसको एग्जिकटिव के अन्तर्गत कर दिया गया है। ज्यूडिशरी का अर्थ है सरकार और लोकतंत्र में पार्टी की सरकार जो प्रभावों से चलेगी जो जनता के दबाव से परिचालित होगी। यह बात तो लगाई गई है कि उनको कुछ समय तक न्यायदान का अनुभव होना चाहिये या उसको एडवोकेट होना चाहिये, प्लीडर होना चाहिये। अगर मैं समझता हूँ कि कंट्रोलर्स की नियुक्ति और उनको वायित्व सीधे हाई कोर्ट के प्रति होने चाहिये, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति नहीं। विधेयक में इस तरह के सुधार की भी बहुत गुंजाइश है।

इसके साथ ही एक बात भी मैं कर्तुमा कि मकान मालिक जहाँ बहुत से कारणों से मकान नहीं देते और जिनका धायद इस बिल को बनाते समय विचार नहीं किया गया और न ही प्रवर समिति ने किया है, यह है

[श्री बाजपेयी:]

कि जो गैर शादी शुदा लोग हैं उनको मकान मिलना बहुत मुश्किल है और उनको मकान इसलिए नहीं दिया जाता है कि उनकी शादी नहीं हुई है और शादी उनकी इसलिए नहीं होती है कि उनकी तनस्वाह कम है। यह एक विषय सा सफल चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जो बैचलर्स हैं उनका भी कुछ खयाल किया जाना चाहिये और अगर बैचलर्स कालोनी बनाई जाए जिसमें एक ही कमरे के मकान हों ...

श्री बी० च० शर्मा (गुरुदासपुर):
विडोथर्स कालोनी भी बननी चाहिये।

श्री बाजपेयी: विडोथर्स का नम्बर बाद में प्रायेगा, पहले बैचलर्स के लिए मकान तो बनें, उनको मकान तो मिलें।

श्री नारायणन् कृष्ण रेनन (मुकुन्द-पुरम्): शर्मा को इसका क्या पता है?

श्री बाजपेयी: मैं चाहता हूँ कि सरकार स्वयं मकान बनाने की एक बड़ी योजना अपने हाथ में ले जिसमें कि छोटी आमदनी के लोगों के लिए मकाम बनें। यह मेरा निवेदन है।

17.02 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE
(AMENDMENT) BILL

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

Shri Barman (Cooch-Bihar—Reserv-
ed—Sch. Tribes): Sir, I beg to present
the report of the Select Committee on
the Representation of the People
(Amendment) Bill, 1958.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-THIRD REPORT

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—
Reserved—Sch. Tribes): Sir, I beg to
present the 33rd Report of the Busi-
ness Advisory Committee.

17.03 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till
Eleven of the Clock on Tuesday, the
16th December, 1958.*